रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1433] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 2014/आषाढ़ 18, 1936
No. 1433] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 2014/ASHADHA 18, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014

का.आ. 1707(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 00.000 कि.मी. से 23.000 कि.मी. (सालासर–फतेहपुर–अम्बाला सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करके चार लेन का बनाने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप–धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप खण्ड अधिकारी, फतेहपुर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के सीकर जिले की फतेहपुर तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 00.000 कि.मी. से 23.000 कि.मी. तक (सालासर–फतेहपुर–अम्बाला–सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सीकर	फतेहपुर	(1) कस्बा फतेहपुर	660/1/1	निजी	बंजड टीबा	1347.33
				400/1	निजी	बंजड टीबा	2715.27
				887/1/2/1	निजी	बारानी द्वितीय/ बारानी तृतीय/गै.मु.	4728.46
				887/1/2	निजी	बारानी प्रथम	500.00
				394/1	निजी	बारानी प्रथम	754.51
				397	निजी	बारानी प्रथम	405.64
				396/1	निजी	बारानी प्रथम	783.54
				398	निजी	बारानी प्रथम	204.39
				656/4/3/2	निजी	बारानी तृतीय	4002.95
				802/1	निजी	बारानी तृतीय	7195.12
				656/4/3/1	सरकारी	गै.मु. आबादी	1668.67
				656/5	सरकारी	गै.मु. आबादी	6641.93
			(2) देवास	197	निजी	बारानी प्रथम	176.09
				203	निजी	बारानी प्रथम	207.31
			(3) होदसर	83	निजी	बारानी द्वितीय	0.75
			(4) खोटिया	389	निजी	बारानी तृतीय	104.62
			(5) रुकनसर	144	निजी	बारानी द्वितीय	221.90
				56	निजी	गै.मु. आबादी	85.78
				186/418	निजी	बारानी तृतीय	499.14
			(6) रामगढ़	735	निजी	गै.मु. चाह	100.00
				159	निजी	चाही तृतीय	1123.49
				584/1633	निजी	चाही तृतीय	2637.65
				562	निजी	चाही तृतीय	41.24
				591	निजी	बारानी प्रथम	1212.81
				593	निजी	बारानी प्रथम	653.84
				594	निजी	बारानी प्रथम	920.31
				595	सरकारी	गै.मु. आबादी	1260.36
				580	सरकारी	गै.मु.	505.76
				557	सरकारी	गै.मु. रास्ता	58.89
				586	सरकारी	गै.मु. कुण्ड़	118.82
				587	सरकारी	गै.मु. आबादी	387.41
				588	सरकारी	गै.मु. आबादी	567.93
				589	सरकारी	गै.मु. आबादी	433.86
योग							**42265.75**

[फा. सं. भाराराप्रा/एलए/आरओजे/पीआईयू–सीकर/रारा–65/2014]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2014

S.O. 1707(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening four laning/2 lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 65 in the stretch of land from Km. 00/00 to Km. 23/00 (Salasar-Fatehpur-Ambala Section) in the district of Sikar in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Fatehpur, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be Acquired with or without structure Falling within the stretch of land from km. 00.00 to 23.00 km. of NH-65 (Salasar-Fatehpur-Ambala Section) for Tehsil Fatehpur District Sikar in the State of Rajasthan

Serial number	Name of district	Name of taluk	Name of village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square meter)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	Sikar	Fatehpur	(1) Kasba Fatehpur	660/1/1	Private	Banjar Tiba	1347.33
				400/1	Private	Banjar Tiba	2715.27
				887/1/2/1	Private	Barani II/ Barani III/ Gairmumkin	4728.46
				887/1/2	Private	Barani I	500.00
				394/1	Private	Barani I	754.51
				397	Private	Barani I	405.64
				396/1	Private	Barani I	783.54
				398	Private	Barani I	204.39
				656/4/3/2	Private	Barani III	4002.95
				802/1	Private	Barani III	7195.12
				656/4/3/1	Government	Gairmumkin Abadi	1668.67
				656/5	Government	Gairmumkin Abadi	6641.93
			(2) Devas	197	Private	Barani I	176.09
				203	Private	Barani I	207.31
			(3) Hodsar	83	Private	Barani II	0.75
			(4) Khotiya	389	Private	Barani III	104.62
			(5) Rukansar	144	Private	Barani II	221.90
				56	Private	Gairmumkin Abadi	85.78
				186/418	Private	Barani III	499.14

			(6) Ramgarh	735	Private	Gairmumkin Chah	100.00
				159	Private	Chai III	1123.49
				584/1633	Private	Chai III	2637.65
				562	Private	Chai III	41.24
				591	Private	Barani I	1212.81
				593	Private	Barani I	653.84
				594	Private	Barani I	920.31
				595	Government	Gairmumkin Abadi	1260.36
				580	Government	Gairmumkin	505.76
				557	Government	Gairmumkin Rasta	58.89
				586	Government	Gairmumkin Kund	118.82
				587	Government	Gairmumkin Abadi	387.41
				588	Government	Gairmumkin Abadi	567.93
				589	Government	Gairmumkin Abadi	433.86
Total							**42265.75**

[F. No. NHAI/LA/ROJ/PIU-Sikar/NH-65/2014]

MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.